

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 848] No. 848] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2018/अग्रहायण 9, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018/AGRAHAYANA 9, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1155(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 38(अ), तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (1), (3) और (5) के सामने में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातु :—

''(1) डॉ. (श्रीमती) परविन्दर सोही बेहुरिया, आईआरएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष" ;

सी-I/9, हुमायूं रोड,

नई दिल्ली- 110003

"(3) श्री अनुराग अग्रवाल,

सदस्य''; और

संयुक्त सचिव,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय.

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001

''(5) सृश्री रितिका भाटिया,

सदस्य''।

प्रधान निदेशक (वाणिज्य-II)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यायल.

9. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली- 110124

6915 GI/2018 (1)

3. यह अधिसूचना, उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/15/2010-पी I]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.िन. 38(अ), तारीख 19 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.िन. सं. 684(अ), तारीख 16 सितंबर, 2011, सा.का.िन.सं. 441(अ), तारीख 12 जून, 2012, सा.का.िन. सं. 486(अ), तारीख 21 जून, 2012, सा.का.िन. सं. 810(अ), तारीख 5 नवंबर, 2012, सा.का.िन. सं. 131(अ), तारीख 1 मार्च, 2014, सा.का.िन. सं. 569(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014, सा.का.िन. सं. 837(अ), तारीख 24 नवंबर, 2014, सा.का.िन. सं. 563(अ), तारीख 20 जुलाई, 2015 और सा.का.िन. सं. 744(अ), तारीख 30 सितंबर, 2015 और सा.का.िन. सं. 681(अ), तारीख 12 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2018

G.S.R. 1155(E).—In exercise of the powers conferred by section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011, namely:-

2. In the said notification for the entries against serial number (1), (3) and (5) the following entries shall be, substituted, namely:-

"(1) Dr. (Smt.) Parvinder Sohi Behuria, IRS (Retd.)

Chairperson";

C-I/9, Humayun Road,

New Delhi-110003

"(3) Shri Anurag Agarwal,

Member"; and

Joint Secretary,

Ministry of Corporate Affairs,

Shastri Bhawan, New Delhi-110001

"(5) Ms. Ritika Bhatia,

Member".

Principal Director (Commercial-II)

Office of the Comptroller Auditor General of India,

9, Deendayal Upadhyaya Marg,

New Delhi-110124

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/15/2010-PI]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011, G.S.R. 441(E), dated the 12th June, 2012, number G.S.R. 486(E), dated the 21st June, 2012, G.S.R. 810(E), dated the 5th November, 2012, G.S.R. 131(E), dated the 1st March, 2014, G.S.R. 569(E), dated the 7th August, 2014, G.S.R. 837(E), dated the 24th November, 2014, G.S.R. 563(E), dated the 20th July, 2015 and G.S.R. 744(E), dated the 30th September, 2015 and G.S.R. 681(E), dated the 12th July, 2016.